भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1871

11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

अमेरिकी प्रशुल्क का प्रभाव

1871. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादकों को अमेरिकी प्रशुल्क के प्रभाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार अन्य देशों से भारत में इस्पात की बढ़ती डंपिंग के बारे में चिंताओं का किस प्रकार समाधान कर रही है और;

(ग) छोटे और मध्यम इस्पात विनिर्माताओं की सुरक्षा के लिए किन नीतिगत उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): यूएसए ने 12 मार्च, 2025 से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए अमरीकी सरकार के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

इस्पात एक नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातारण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पाटन रोधी जांच करता है, जिसमें देश में माल की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान होने का आरोप लगाया जाता है। पाटन रोधी उपायों का मूल

जारी...2/-

उद्देश्य डंपिंग के अनुचित व्यापार प्रक्रिया से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना और घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।

कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, पाइपों और लोहे मिश्रधातु अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के खोखले उत्पादों (कच्चे लोहे और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) (चीन गणराज्य से), इलैक्ट्रो-गैलवेनाइज्ड इस्पात (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब एवं पाइपों (चीन गणराज्य से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूबों (वियतनाम और थाईलैंड से) के संबंध में पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।

सरकार ने घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की सुरक्षा तथा भारत के इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) चीन और वियतनाम से आयातित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

(ii) केंद्रीय बजट 2024-25 में, घरेलू विनिर्माताओं को सहायता देने और स्वदेशी इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:-

क. फेरो-निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों तथा सांद्रों (कंसंट्रेट्स) जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल हैं, पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ख. फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

ग. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील निर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है। इसके अलावा, टैरिफ मद 7226 11.00 के अंतर्गत आने वाले सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्चे माल पर भी छूट बढ़ा दी गई है।

(iii) सरकारी खरीद के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति।

जारी....3/-

(iv) देश के भीतर 'स्पेशियलिटी स्टील' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए स्पेशियलिटी स्टील के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना। स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है जिसमें स्पेशियलिटी स्टील के लिए लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) की डाउनस्ट्रीम क्षमता का निर्माण शामिल है।

(v) इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरूआत जिसके तहत घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की तारीख तक, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील को शामिल करते हुए 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

सरकार एमएसएमई के संवर्द्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म और लघु उद्यम - हरित निवेश और परिवर्तन हेतु वित्त पोषण योजना (एमएसई-जीआईएफटी योजना), चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्द्धन और निवेश हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यम योजना, एमएसएमई चैंपियन्स योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई समाधान, सूक्ष्म और लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं।

*****